1.	योजना का नाम	**मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2013-14
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों 3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो। 4. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों। 6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों। 7. आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।
6.	देय सुविधाएं	स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी।
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जॉच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी ।
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।